



राजस्थान सरकार  
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर  
जोधपुर 342304 राजस्थान, भारत

**ई-निविदा 30 / 2024-25**

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा Computers Printers Interactive Panel and Audio Podium for CoA Nagaur की खरीद के लिए ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत विवरण एवं जानकारी [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

UBN NO. : **JAU2425GLOB00183** EPROC ID: 2025\_AGUJD\_445737\_1

नियंत्रक(वित्त)  
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय वित्त नियंत्रक  
कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर  
मण्डोर रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर-342304 राजस्थान  
फोन नं. 0291-2570711 / ई-मेल comptrollerfin@gmail.in

क्रमांक:- F.3 (Accts/AU/Jodh/2024-25/1070

दिनांक:- 01.02.25

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 30/2024-2025

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित उपापन हेतु निर्धारित प्रपत्र में इच्छुक बोलीदाताओं/ प्रतिष्ठित अनुभवी एवं अधिकृत कम्पनियों/फर्मों ई-उपापन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नानुसार बोलियां आमंत्रित की जाती है।

Table 1

S No	निविदा का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रु.)	निविदा शुल्क (अप्रतिदेय)	प्रोसेसिंग शुल्क (अप्रतिदेय) रूपयों में	निविदा डाउनलोड प्रारम्भ की दिनांक व समय	निविदा अपलोड करने एवं कॉलम सं. 4, 5, 6 में अंकित शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Computers, Printers & Interactive Panel and Audio Podium for CoA Nagaur	27.00 लाख	बोली प्रतिभूति 2 % सारिणी 2 अनुसार	590	500	01.02.25 02:00PM	06.02.25 03:00PM	06.02.25 04:00PM

Table 2


Sr. No.	Name of Item	Qty	Approx Cost (₹)	Bid Security @ 2% (₹)
1	2	3	4	5
1	Interactive Panel	02	560000	11200
2	Audio Podium	02	100000	2000
3	Computers All in One	08	540000	10800
4	Computers desktop	20	1300000	26000
5	All in One Monochrome Laser Printer	05	125000	2500
6	Laser Jet printer	05	75000	1500

बोलीदाता द्वारा उक्त सारिणी 2 में से जिस विषयवस्तु के लिये बोली प्रस्तुत की जाती है उस विषयवस्तु के लिये कॉलम संख्या 5 में वर्णित बोली प्रतिभूति राशि जमा कराई जाएगी।



आवश्यक शर्तें एवं निर्देश:-

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42(2) बोली प्रतिभूति के अन्तर्गत "राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी" उपरोक्तानुसार फर्म अगर राजस्थान के लघु उद्योगों में सम्मिलित है तो धरोहर राशि कॉलम संख्या 3 की 0.5 प्रतिशत होगी और अगर फर्म राजस्थान के लघु उद्योगों में सम्मिलित नहीं है तो धरोहर राशि कॉलम 4 के अनुसार होगी। यदि बोलीदाता फर्म के द्वारा धरोहर राशि नहीं जमा कराई जाती है तो उक्त बोलीदाता की बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. बोली आनलाईन प्रस्तुत करने तथा कॉलम संख्या 4,5,6 में वर्णित दस्तावेज व शुल्क भौतिक रूप से जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय कॉलम संख्या 08 के अनुसार रहेगी।
3. विभिन्न बोलियों के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण कार्यालय समय में कार्यालय तथा उपापन पोर्टल [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है। बोली [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) एवं [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड कर [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) प्रस्तुत की जा सकती है।
4. ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में वे ही संवेदक भाग ले सकेंगे जिनके पास Digital Signature Certificate होने के साथ ही उक्त वेबसाइट पर पंजीकृत होंगे।
5. किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा शुद्धिकरण की नवीनतम जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने वाले निविदादाता नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।
6. कार्यादेश में वर्णित संस्थाओं में आपूर्ति कार्यादेश में वर्णित अवधि/दिवस में करनी होगी अन्यथा नियमानुसार एल.डी. चार्ज की कटौती की जायेगी।
7. निर्धारित तिथियों को राजकीय अवकाश होने निविदाएँ उसके अगले कार्यदिवस को उक्त निर्धारित समय पर खोली जायेगी।
8. राज्य में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है। अतः बोली पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।
9. किसी भी बोली को पूर्ण/आंशिक रूप स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेंगे। जिसके संबंध में फर्म से किसी प्रकार के प्राप्त पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. बोली में दर्शाये गये आईटम की संख्या घटाई/बढ़ाई जाने के समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेंगे। जिसके संबंध में फर्म से किसी प्रकार के प्राप्त पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. बोली के साथ दिये जाने वाले समस्त दस्तावेजों पूर्ण रूप से भरे जायेगे।
12. Financial bid evaluation will be made on item wise evaluation. Bidders can bid for any or all items.
13. बोली के साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार पूर्ण भरे हुये एवं आवश्यकता अनुसार समस्त दस्तावेज सलंगन करें अन्यथा बोली खोलने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
14. अगर आपको कार्यादेश जारी किया जाता है तो कार्यादेश में वर्णित आपूर्ति अवधि में उपकरण की आपूर्ति करावें। अगर किन्ही परिस्थितियों के दृष्टिगत आप समयावधि में आपूर्ति नहीं कर सकते हैं तो आपूर्ति अवधि समाप्त होने से पहले विभाग को लिखित में सूचित करेंगे अन्यथा संस्था द्वारा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपूर्ति अवधि बढ़ाने के पश्चात् ही उपकरण की आपूर्ति करावें।
15. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
16. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) रहेगा।

  
वित्त नियंत्रक,  
कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर